

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 220/नागौर/2016-2017

यह प्रमाणित किया जाता है कि अर्जुन शिक्षा एवं अनुसंधान समिती कुन्चाभनशिरी.....

जिला नागौर का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक 22/01/2017 माह जनवरी सन् दो हजार सत्रह को नागौर में दिया गया।




रजिस्ट्रार, नागौर